



The Uttar Pradesh Pratisthani Majdoor Niyojan Adhiniyam, 1978
Act 4 of 1978

Keyword(s):

Viniyukti Bhatta, Odyogik Adhisthan, Arakshit-Samuh Majdoor, Majdoori, Malik or Majdoor, Karkhana

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

विधान प्रकाश
(राजकीय प्रकाश
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

९५६२।।

L.A.

१५/७८.६।।

Cap. 2

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1978)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 मार्च, 1978 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 अप्रैल, 1978 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट के भाग 1 खण्ड (क) में दिनांक 18 अप्रैल, 1978 ई० को प्रकाशित हुआ ।

कठिपय औद्योगिक अधिष्ठानों में प्रतिस्थानी मजदूरों के नियोजन और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) इसे 26 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ ।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 20 मार्च, 1978 ई० के सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिषिष्ट का भाग 3 खण्ड (क) देखिये ।]

PRICE 25 Paise

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में,—

(1) “विनियुक्ति भत्ता” का तात्पर्य उस धनराशि से है जो किसी मजदूर को एक दिन के लिए देय मजदूरी के तैतीस प्रतिशत के बराबर हो;

(2) “ओद्योगिक अधिष्ठान” का तात्पर्य सूत, जूट, ऊन, वस्त्र, कृतिम रेशा, कृतिम धागा के कारखानों से संबंधित किसी अधिष्ठान से है और इसमें ऐसे अन्य अधिष्ठान भी सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय;

(3) “आरक्षित-समूह मजदूर” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलेंडर मास के दौरान मालिक द्वारा किसी स्थायी प्रकार के काम पर 300 दिन या उससे अधिक दिन के लिए नियोजित किया गया हो;

(4) “मजदूरी” का तात्पर्य धन के रूप में अधिव्यक्त सभी पारिश्रमिक से है (चाहे वह वेतन, भत्ता या अन्य प्रकार से हो) जो नियोजन के स्पष्ट या उपलक्षित निबन्धनों की पूर्ति हो जाने पर मजदूर को उसके नियोजन के या ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के संबंध में देय हो;

(5) शब्द “मालिक” और “मजदूर” के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संयुक्त प्रांतीय ओद्योगिक झगड़ों का एक्ट, 1947 में उनके लिये दिये गये हैं;

(6) शब्द “कारखाना” का वही अर्थ होगा जो कारखाना अधिनियम, 1948 में उसके लिए दिया गया है।

मालिक समूह
मजदूरों का
रजिस्टर रखेगा।

समूह मजदूरों की
सूची प्रदर्शित की
जायगी।

कार्य की व्यवस्था
न होने पर विनि-
युक्ति भत्ता का
भुगतान।

आरक्षित-समूह
मजदूरों की स्थायी
नियुक्ति।

शास्ति

अपराध का संज्ञान

कम्पनियों द्वारा
अपराध।

3—प्रत्येक मालिक आरक्षित-समूह मजदूरों का रजिस्टर रखेगा और उसमें समस्त आरक्षित-समूह मजदूरों के नाम श्रेणीवार और ऐसे ज्येष्ठता-क्रम में जिसकी गणना इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलेंडर मास के दौरान अधिकतम कार्य-दिवस के आधार पर की जायगी, दर्ज करेगा।

4—आरक्षित समूह मजदूरों के नामों की एक श्रेणीवार सूची सम्बद्ध ओद्योगिक अधिष्ठान के सचना-पट्ट पर इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से तीस दिन के भीतर चिपकायी जायगी।

5—जब कोई आरक्षित-समूह मजदूर कार्य के लिए उपस्थित होता है और मालिक उसे कार्य देने में विफल रहता है, तब वह ऐसे मजदूर को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए विनियुक्ति भत्ता देगा:

परन्तु कोई विनियुक्ति भत्ता लगातार बारह कलेंडर मास की किसी अवधि में नब्बे दिन से अधिक के लिए देय नहीं होगा।

6—प्रत्येक मालिक किसी श्रेणी के संबंध में, जिसमें रिक्ति हो, आरक्षित-समूह मजदूरों को स्थायी रूप से नियुक्त करते समय उसी क्रम का अनुसरण करेगा जिस क्रम में ऐसे मजदूरों के नाम घारा 3 के प्रधीन रखे गये रजिस्टर में दर्ज हों।

7—कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा।

8—(1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान जिला बजिस्ट्रेट या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गयी अपराध के तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के बिना नहीं करेगा।

(2) प्रथम वर्ग के बजिस्ट्रेट से अब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

9—(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा हो या उसके कार्य-संचालन के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उनके विश्वद कार्यवाही की जा सकेगी और दंड दिया जा सकेगा।

परन्तु इस अपराध की किसी बात से इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा यदि वह यह सावित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किमी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सावित हो जाय कि अपराध किसी निवेशन, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी और से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है तो उसके विश्वद तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी और दंड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, “निदेशक” का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

10—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

11—(1) उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अध्यादेश, 1978 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त था।

अन्य विधियों के
विषय में अपवाद
निरसन